न्यायालय अ[...] जिला कलेक्टर, टोंक

(रामरतन [...] एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 02 / 2022

प्रविष्टि दिनांक 01.02.2022

1. कस्तूरी देवी पत्नि लादूलाल जाति कलाल निवासी गांवडी तहसील देवली जिला टोंक।
2. गोपाल पुत्र लादूलाल जाति कलाल निवासी गांवडी तहसील देवली जिला टोंक।
3. गोपी पुत्र लादूलाल जाति कलाल निवासी गांवडी तहसील देवली जिला टोंक।
4. जगदीश पुत्र लादूलाल जाति कलाल निवासी गांवडी तहसील देवली जिला टोंक।
5. द्वारका देवी पुत्री लादूलाल जाति कलाल निवासी गांवडी तहसील देवली जिला टोंक।
6. निशा पुत्री लादूलाल जाति कलाल निवासी गांवडी तहसील देवली जिला टोंक।
7. बद्री बाई पुत्री लादूलाल जाति कलाल निवासी गांवडी तहसील देवली जिला टोंक।
8. नुरका पुत्री माधो जाति बैरवा निवासी गांवडी तहसील देवली जिला टोंक।
9. सुन्दर पत्नि माधो जाति बैरवा निवासी गांवडी तहसील देवली जिला टोंक ।
10. मोहन पुत्र लादूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम पनवाड तहसील देवली जिला टोंक।

.... आवेदकगण

बनाम

1. श्योजी पुत्र रामा जाति बैरवा निवासी खेडा गांवडी तहसील देवली जिला टोंक (राज.)।
2. भू आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

.... प्रतिपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–आवंटन नियम 1970
विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 15.10.1977

उपस्थिति : (1) श्री बनवारी लाल शर्मा, अभिभाषक आवेदक अनु.।
(2) श्री अजय सिंह सोलंकी, अभिभाषक प्रतिपक्षी अनु.।

दिनांक 05/6/25

निर्णय

संक्षेप मे प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 183, 184, 185/1 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि वाके ग्राम खेडा गांवडी तहसील देवली जिला टोंक (414/765 व 850/414) स्थित है, को दिंनाक 15.10.1977 को भू आंवटन सलाहकार समिति उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पिता रामा पुत्र औंकार जाति चमार निवासी खेडागांवडी तहसील देवली जिला टोंक के हक में आवंटन की गई थी। उपरोक्त

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

आवंटन आदेश को विधिविरूद्ध बताते हुए उसे निरस्त करार दिये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस प्रतिपक्षीगण की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक आवेदक एवं अभिभाषक प्रतिपक्षी अनुपस्थित रहे एवं उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली का निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जा रहा है।

हमने पत्रावली पर आये सबूत/दस्तावेजात एवं आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि भूमि खसरा नम्बर 183, 184, 185/1 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि वाके ग्राम खेडा गांवडी तहसील देवली जिला टोंक (414/765 व 850/414) स्थित है, को दिंनाक 15.10.1977 को भू आंवटन सलाहकार समिति उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पिता रामा पुत्र औंकार जाति चमार निवासी खेडागांवडी तहसील देवली जिला टोंक के हक में आवंटन की गई थी। आवंटन से पूर्व समस्त विधिक प्रक्रिया अपनायी गयी थी। आवंटन पत्रावली में संलग्न पटवारी की रिपोर्ट में स्पष्ट हैं कि आवंटन के समय उक्त भूमि पर प्रतिपक्षी सं. 1 का ही कब्जा था। आवेदक ने ऐसा कोई साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया हैं जिसके आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सके। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा द्वारा दिनांक 15.10.1977 को प्रतिपक्षी सं0–1 के पिता रामा पुत्र औंकार जाति चमार निवासी खेडागांवडी तहसील देवली जिला टोंक को आराजी खसरा नम्बर 183, 184, 185/1 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि वाके ग्राम खेडा गांवडी तहसील देवली जिला टोंक का किया गया आवंटन उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर दिनांक 15.10.1977 को प्रतिपक्षी सं0–1 के पिता रामा पुत्र औंकार जाति चमार निवासी खेडागांवडी तहसील देवली जिला टोंक को आराजी खसरा नम्बर 183, 184, 185/1 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि वाके ग्राम खेडा गांवडी तहसील देवली जिला टोंक का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05/6/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अति.जिला कलेक्टर
टोंक